न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 25/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
चेनाराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी झाडेली तहसील डेह जिला नागौर।		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह, तहसील डेह जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री भोपालसिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 07.03.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 54/2022 सरकार बनाम चेनाराम में निर्णय दिनांक 25.07.2022 के तहत मौजा झाडेली की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.03.23 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.04.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 54/22 की फोटोप्रति, मौजा झाडेली के नक्शा सीट की फोटोप्रति, मौजा झाडेली के नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति, मौजा झाडेली के खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार डेह के समक्ष पटवारी हल्का झाडेली द्वारा दिनांक 21.06.2022 को एक रिपोर्ट राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने बाबत अपीलांट के विरूद्व गांव झाडेली के खसरा नम्बर 454 रकबा 0.0161 हैक्टयर किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता लगान 0.30 रूपये पर सम्वत् 2079 में अनाधिकृत कब्जा द्वारा बाड करने का अतिक्रमण बताकर पेश की जिसके साथ नजरी नक्शा भी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पर ही दर्शाते हुये पेश किया जिस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 54/2022 दिनांक 21.06.2022 को धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही शुरू की गई अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 25.07.2022 को निर्णय पारित कर जुर्माना व बदेखली के आदेश पारित कर दिये। अपीलांट को दिनांक 20.03.2023 को पटवारी हल्का झाडेली ने जानकारी दी कि तुम्हे अतिक्रमी घोषित किया जाकर निर्णय पारित किया गया है, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 22.03.2023 को न्यायालय तहसीलदार डेह से अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त कर नकल आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 24.03.2023 को नकल निर्णय व पत्रावली की प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.03.2023 को होने से एवम दिनांक 25.03.2023 व 26.03.2023 को राजकीय अवकाश के कारण यह अपील अविलम्ब अन्दर मयाद जानकारी की तिथि से पेश की गई, जो अन्दर मियाद पेश है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 विधिविरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त/संशोधित/परिवर्तन किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2022 को अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा जवाब में अपीलांट ने खसरा नम्बर 454 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने का कथन करते हुये जवाब पेश किया तथा खसरा नम्बर 454 का सीमाज्ञान कराकर ही प्रकरण की सुनवाई करने बाबत निवेदन किया। पूर्व में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर

07/3/25

अपर कलक्टर, नागौर

508 रकबा 7.07 बीघा की पूर्व में पटवारी हल्का झाडेली, भू अभिलेख निरीक्षक सुरपालिया द्वारा दिनांक 12.01.2012 को किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति जवाब के साथ पेश की। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के जवाब व प्रस्तुत दस्तावेज पर किसी प्रकार से कोई गौर किये बिना मनमाने ढंग से पटवारी हल्का झाडेली के सशपथ कथन या शपथपत्र अतिक्रमण के संबंध में पत्रावली में शामिल किये बिना अपीलांट को मनमाने ढंग से बिना अपीलांट की उपस्थिति के अतिक्रमी घोषित कर दिया तथा अपीलांट को किसी प्रकार से कोई तारीख पेशी से अवगत नहीं कराया गया तथा आगे की कोई तारीख पेशी से अवगत कराये बिना दिनांक 25.07.2022 को अपीलांट के विरूद्व बिना किसी प्रकार से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया। जो विधि विरूद्व एवं न्याय के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण एवं मनमानी कार्यवाही को दर्शित करने वाला निर्णय होने से अपीलधीन निर्णय दिनांक 25.07.2022 अपास्त/संशोधित/परिवर्तन किये जाने योग्य है।

{2}(III)– रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 454 मौजा झाडेली में अपीलांट की बाड होकर अतिक्रमण किये होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की। परन्तु अपीलांट का कब्जा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर कितनी लम्बाई चौडाई में किया गया है, का कोई उल्लेख रिपोर्ट में है और ना ही अपीलाधीन आदेश में ऐसा कोई तथ्य है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त/संशोधित/ परिवर्तन किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–खसरा नम्बर 454 जो वर्तमान में नक्शे में दर्शित है कि तरमीम पटवारी हल्का झाडेली ने बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 577 के स्थान पर कूटरचना कर दी है। मूल खसरा नम्बर 454 के आस पास अपीलांट का खेत नहीं है। अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 577 गैर मुमकिन रास्ता जो करीब 16 बीघा का है पर स्थित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुये हल्का पटवारी के विरूद्व कार्यवाही करने के बजाय मनमाने ढंग से सरकारी भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना किसी दस्तावेजी सबूत के मात्र पटवारी हल्का की कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित करने की कार्यवाही की गई है जिससे अपीलांट को गहरा मानसिक आघात पहूंचा है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट की खातेदारी भूमि को अवैध रूप से रास्ते की भूमि पर कब्जाधारियों को लाभ पहूंचाने के आशय से निर्णय पारित किया गया है जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट के खेत के पूर्वी दिशा में कटाणी रास्ता 577 है, जिसके पूर्वी तरफ नानूराम, रामनिवास पिता जीतूराम का खेत खसरा नम्बर 660 रहता रहा है, जिसके वर्तमान में विभाजन होकर दो खसरे 660/3 व 660/4 राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर अवस्थित है। अपीलांट द्वारा कटाणी रास्ता 577 पर नानूराम, रामनिवास द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में पटवारी हल्का झाडेली से अतिक्रमण हटाने की वर्ष 2011 में प्रार्थना की परन्तु पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर अपीलांट ने तहसीलदार जायल के समक्ष अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 508 का सीमाज्ञान करवाने बाबत आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 12.01.2022 अपीलांट के खेत का सीमाज्ञान कर अपीलांट के खसरा नम्बर 508 व खसरा नम्बर 660 के मध्य कटाणी रास्ता का सीमाज्ञान किये जाने पर नक्शा सीट अनुसार रास्ता अपीलांट के खेत में चलना पाया गया व कटाणी रास्ते पर नानूराम पुत्र जीतुराम जाट एवं पुरखाराम, रामनिवास पिता जीतुराम जाट का कटाणी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया परन्तु अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने किसी प्रकार से अतिक्रमण के विरूद्व अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। अपीलांट द्वारा बार बार शिकायत करने पर पटवारी हल्का झाडेली ने दिनांक 27.06.17 को खसरा नम्बर 660 व 508 के मध्य स्थित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 577 पर 3 बिस्वा भूमि पर नानूराम, रामनिवास पिता जीतुराम द्वारा कब्जा करने के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार डेह के न्यायालय में पेश की। जिस पर दिनांक 18.07.17 को नानूराम रामनिवास पिता जीतुराम के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण संख्या 11/2017 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 03.10.2017 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 577 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर नानूराम, रामनिवास पिता जीतुराम का अतिक्रमण प्रमाणित मानकर अतिक्रमी करते हुए निर्णय पारित हुआ। परन्तु आजदिन तक निर्णय की पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं करवाई एवं उक्त अतिक्रमण को सरंक्षित करने के आशय से उक्त रास्ते के खसरा नम्बर 577 की बजाय खसरा नम्बर 454 दर्ज कर अपीलांट को अतिक्रमी मानकार निर्णय पारित किया गया है। जो अधीनस्थ

07/3/w

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं हल्का पटवारी की मिलीभगत एवं अपीलांट को तंग व परेशान करने अपीलांट की खातेदारी भूमि को रास्ते में परिवर्तन कर क्षति कारित करने के आशय से निर्णय पारित किया गया है। जो निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा झाडेली में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 54/2022 सरकार बनाम चेनाराम में निर्णय दिनांक 25.07.2022 के तहत मौजा झाडेली की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा झाडेली के खसरा नम्बर 454 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखली का आदेश पारित किया, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार खसरा नम्बर 454 के स्थान पर खसरा नम्बर 577 पर अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 की कार्यवाही करने से पूर्व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार डेह द्वारा मौजा झाडेली के प्रकरण संख्या 54/2022 निर्णय दिनांक 25.07.2022 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को को निर्देशित किया जाता है मौजा झाडेली के खसरा नम्बर 577 की मौके पर जांच करें, यदि उक्त खसरा पर अपीलांट का अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो एक माह में विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/3/22

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर